Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Ltd.
(Formerly RSBCC Ltd.)
(A GOVERNMENT OF RAJASTHAN UNDERTAKING)
CIN No. U45203RJ1979SGC001853
Regd. Office : Setu Bhawan, Opposite Jhalana Doongari, Jaipur-Agra Bypass, Jaipur-302004
LC

B-19(41)LC/RTPP/21/ 17937

Date:- 27-12-2021

<u>अतिआवश्यक</u>

परियोजना निदेशक,
आर.एस.आर.डी.सी.लि.,
इकाईः— विद्युत—प्रथम, जयपुर।

विषयः— प्रथम अपील अधिकारी द्वारा आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के अन्तर्गत दायर प्रथम अपील 41/2021, मैसर्स देव कन्स्ट्रक्शन बनाम परियोजना निदेशक, इकाई— धौलपुर, आर.एस.आर.डी.सी. में पारित निर्णय दिनांक 27.12.2021 आर.एस.आर.डी.सी.लि. के पोर्टल पर अपलोड करने के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत दर्शित प्रथम अपील में पारित निर्णय दिनांक 27.12.2021 की प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न कर अनुरोध है कि निर्णय को आर.एस.आर.डी.सी.लि. के पोर्टल पर अविलम्ब अपलोड करते हुये अपलोड की सूचना विधि अनुभाग को देने का श्रम करें।

भवदीय,

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(सुधीर कुमार दीक्षित)
विधि सलाहकार

Phone: EPBX-2711386-90 E-Mail:- gm@rsrdc.com Fax:- 0141-2711178 Website:- RSRDC.Com
RTPP

कार्यालय प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आर.एस.आर.डी.सी. लि.

अपील संख्या 41 / 2021

मैसर्स देव कन्स्ट्रक्शन .. अपीलार्थी

बनाम

परियोजना निदेशक यूनिट – धौलपुर , आर.एस.आर.डी.सी. प्रत्यार्थी

प्रथम अपीलीय अधिकारी – संजय सक्सेना (महाप्रबन्धक)

उपस्थित –

1. अपीलार्थी की ओर से – अधिकृत श्री प्रवीन कुमार
2. प्रत्यार्थी ओर से – स्वयं, श्री विजय सिंह
   परियोजना निदेशक यूनिट – धौलपुर।

निर्णय

दिनांक :–

यह कि वर्तमान अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अन्तर्गत धारा– 38 राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 सपठित राजस्थान लोक उपापन में पारदिर्शिता नियम, 2013 अपीलार्थी मैसर्स देव कन्स्ट्रक्शन जरिये श्री प्रवीन कुमार द्वारा दिनांक 23.12.2021 को दायर किया है।

अपील के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा चम्बल (सोने का गुरजा सेवक– पाली) पर उच्च तलीय पुल निर्माण कार्य हेतु निविदा संख्या 195 / 2021–21 दिनांक 26.10.2021 को ई– प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएं आंमत्रित की गई, जिसमें निविदा प्रपत्र डाउनलोड एवं जमा कराने की अवधि 01.11.2021 से 15.12.2021 सायं 6.00 बजे तक निर्धारित थी।

यह है कि आर टी पी पी एक्ट 2012 की धारा 22 में प्रदत्त प्रावधान की अनुपालना में निविदा में वर्णित बोली पूर्व स्पष्टीकरण के लिए निर्धारित तिथि 10.11.2021 को निविदा पूर्व बैठक आयोजित की गई।

यह है कि दिनांक 15.12.2021 सायं काल 6.00 बजे तक कुल चार निविदाये ऑनलाईन प्राप्त हुईं। निविदाओं में वर्णित नियत तिथि 16.12.2021 को तकनीकी मुल्यांकन समिति की बैठक आयोजित कर सभी प्राप्त निविदा एवं संलग्न दस्तावेज का परीक्षण किया गया। तकनीकी समिति द्वारा दिंनाक 16.12.2021 की गई मूल्यांकन रिपोर्ट को दिनांक 18.12.2021 को पोर्टल पर अपलोड किया गया। तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा अपीलार्थी की निविदा को इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि :–

जोईन्ट बैन्चर के लीड पार्टनर को औसत वार्षिक वित्तिय टर्न ओवर बिड राशि रूपयें 74 करोड का 60 प्रतिशत यानि 44.40 करोड का प्रमाण अपलोड करना था, जबकि निविदाकर्ता अपीलान्ट फर्म द्वारा मात्र 19.32 करोड का एवं फाईनेशियल केपेसिटी (Finacial

27/12/21

Capacity) रूपयें 8.88 करोड रूपयें का प्रमाण अपलोड करना था, जबकि अपीलान्ट फर्म ने 4.72 करोड रूपयें की फाईनेसियल केपीसिटी का ही प्रमाण अपलोड किया है, जो कि आर एफ पी के क्लॉज संख्या 2.2.2.4 के अनुरूप नही है।

तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक 16.12.2021 की तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट को दिनांक 18.12.2021 को पोर्टल पर अपलोड किया गया था, के विरूद्व उपरोक्त अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की गई है।

1. यह है कि अपीलेन्ट फर्म द्वारा बिड डाक्यूमेन्ट में डी एम आर बिल्डर्स प्रा. लि. एस सी एफ 126 अपोजिट सुकराज सिनेमा गोनियाना रोड भटिन्डा के साथ जोईन्ट बैन्चर की गई थी, जिसमें डी एम आर बिल्डर्स प्रा. लि. 40 प्रतिशत तथा मैसर्स देंव कन्स्ट्रक्शन 60 प्रतिशत हो गया था, जो कि गलत था, लेकिन उसी दिन अपीलेन्ट फर्म का जोईन्ट बैन्चर एग्रीमेन्ट डी एम आर बिल्डर्स प्रा. लि. 60 प्रतिशत तथा मैसर्स देंव कन्स्ट्रक्शन 40 प्रतिशत का बनवाया गया था, जो कि सही था।
2. यह है कि अपीलेन्ट फर्म द्वारा एन आई टी 195/2021—22 का टैन्डर अपलोड करते समय भूलवश बिड डाक्यूमेन्ट में गलत जोईन्ट बैन्चर डी एम आर बिल्डर्स प्रा. लि. 40 प्रतिशत तथा मैसर्स देंव कन्स्ट्रक्शन 60 प्रतिशत अपलोड हो गया था।
3. यह है कि अपीलेन्ट फर्म द्वारा गलती से अपलोड हुये जोईन्ट बैन्चर एग्रीमेन्ट को निरस्त करते हुये संशोधित जोईन्ट बैन्चर एग्रीमेन्ट जो अपील में संलग्न है,को स्वीकार कर टैक्नीकल बिड में क्वालीफाई करने का अनुरोध किया है।

यह है कि दिंनाक 24.12.2021 को प्रत्यार्थी परियोजना निदेशक यूनिट धौलपुर आर एस आर डी सी द्वारा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया।

1. यह है कि अपीलान्ट द्वारा संशोधित जोईन्ट बैन्चर एग्रीमेन्ट निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् अपील के साथ आफलाईन प्रस्तुत किया है, जो निविदा प्राप्त करने की अन्तिम दिंनाक 15.12.2021 के पश्चात् प्रदत्त किया है। अपीलान्ट द्वारा जो दस्तावेज अपलोड ही नही किया गया, तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा, उसके आधार पर आज की तिथि में आर एफ पी के क्लॉज 2.10.1 एवं आर टी पी पी एक्ट 2013 के नियम 60 के अनुसार स्वीकार नही किया जा सकता।
2. यह है कि अपीलान्ट के द्वारा अपलोडेड जोईन्ट बैन्चर एग्रीमेन्ट जिसमें लीड पार्टनर को 60 प्रतिशत हिस्सेदारी है, को औसत वार्षिक वित्तिय टर्न ओवर, बिड राशि रूपयें 74 करोड का 60 प्रतिशत यानि 44.40 करोड का प्रमाण अपलोड करना था, जबकि अपीलेन्ट फर्म द्वारा मात्र 19.32 करोड का ही प्रमाण अपलोड किया है, जो कि आर एफ पी के क्लॉज संख्या 2.2.2.4 के अनुरूप नही है। फाईनेसर केपीसिटी के लिए अपीलान्ट फर्म के लीड पार्टनर को,, बिड मूल्य का 20 प्रतिशत मूल्य का नेट वर्द राशि 8.88 करोड का प्रमाण अपलोड करना था, जबकि फर्म द्वारा राशि 4.72 करोड के नेट वर्द का प्रमाण अपलोड किया है, जो कि राशि रू. 8.88 करोड से कम है, अर्थात् आर एफ पी के क्लॉज संख्या 2.2.2.4 के अनुरूप नही है। इन

27/12/21

आधार पर तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा अपीलान्ट की निविदा को असफल माना है। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में स्वत ही स्पष्ट है कि तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा अपीलान्ट की निविदा को अस्वीकार करना भूल एवं त्रृटि नही है।

3. यह है कि उक्त कार्य की वित्तिय निविदा भी दिंनाक 21.12.2021 को खोली जा चुकी है।
4. अन्त में अनुरोध किया गया है कि समिति द्वारा लिया गया निर्णय दिनांक 16.12. 2021 निविदा के प्रस्ताव क्लॉज 2.10.1, 2.11.1 एवं आर टी पी पी एक्ट 2012 के नियम 8 में प्रदत्त प्रावधान के अनुरूप लिया गया है।

निर्णय

उभयपक्षकारान को दिनांक 27.12.2021 को विस्तार से सुना गया। अपीलान्ट द्वारा दायर अपील एवं संलग्न दस्तावेज तथा प्रत्यार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का जवाब का अनुशीलन, अवलोकन किया गया। निविदा के साथ अपलोड निविदा प्रस्ताव (आर एफ पी) अनुरोध के क्लॉज 2.10.1, 2.11.1 एवं आर.टी.पी.पी. एक्ट एवं नियम मे प्रदत प्रावधान अनुसार तकनीकी मूल्यांकन समिति को निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि तक निविदाकर्ता द्वारा अपलोड निविदा प्रपत्र का परीक्षण कर तकनीकी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का निर्णय लेना होता है। अपीलान्ट द्वारा अपलोड किया गया जोईन्ट बैन्चर एग्रमीमेन्ट आर एफ पी के क्लॉज 2.2.2.4 जो जोईन्ट बैन्चर एग्रीमेन्ट से सम्बन्धित हैं। जिसकी अनुपालना में जोईन्ट बैन्चर के लीड पार्टनर को निविदा मूल्य की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ साथ लीड पार्टनर की औसत वार्षिक टर्न ओवर एवं फाईनेसियल केपीसिटी का प्रमाण अपलोड करना होता है। अपीलान्ट ने अपलोड जोईन्ट बैन्चर एग्रीमेन्ट सहवन से गलत अपलोड मानते हुये संशोधित जोईन्ट बैन्चर एग्रीमेन्ट जो आर एफ पी के क्लॉज 2.2. 2.4 के अनुरूप है अपील में प्रस्तुत कर इसके आधार पर तकनीकी मूल्यांकन समिति के निर्णय को निरस्त कर निविदा प्रक्रिया में शामिल करने का अनुरोध किया गया है। निविदा की अन्तिम तिथि के बाद प्रस्तुत करने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नही है। तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा नियत तिथि से पूर्व अपलोड जोईन्ट बैन्चर एग्रीमेन्ट के परीक्षण में लीड पार्टनर की वांछित औसत वार्षिक वित्तिय टर्न ओवर एवं फाईनेसियर केपीसिटी आर एफ पी के क्लॉज 2.2.2.4 के अनुरूप नही होने के कारण अपीलान्ट की तकनीकी बिड को असफल घोषित करने का निर्णय लिया जाने में किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं लापरवाही नही बरती गयी है, इसलिए अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही है।
अतः उपरोक्तानुसार अपीलान्ट अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2021 को जारी किया गया ।

प्रथम अपील प्राधिकारी ,

27/12/21

(संजय सक्सेना)

आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर।